

कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

पत्रांक 862/4-1 दिनांक, नजीबाबाद 18 सितम्बर, 2024

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:-

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 from Ch.0+000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

संदर्भ:-

आपका पत्रांक 313/14-1 दि० 01.08.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक संख्या 267/14-1 दिनांक 26.07.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि आपके द्वारा लगाये गये ई०डी०एस० का निराकरण कर बिन्दुवार प्रेषित है:-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु सं०-B-2.1 की तालिका के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि दो वन प्रभाग (बिजनौर में-0.66 हे०) कुल 5.27 हे० से सम्बन्धित हैं इसलिए दोनो वन प्रभाग का एक समेकित प्रस्ताव आपके स्तर से (क्योंकि एक प्रस्ताव में एक से अधिक प्रभाग सम्मिलित होने की स्थिति में प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि में जिस प्रभाग का क्षेत्रफल अधिक प्रभावित हो वह ही प्रस्ताव के लिए नोडल अधिकारी होता है।) प्रेषित किया जाना है।	बिजनौर वन प्रभाग एवं नजीबाबाद वन प्रभाग दोनों वन प्रभागों का एक समेकित प्रस्ताव तैयार कर वांछित अभिलेख अपलोड कर दिये गये हैं।
2	ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट-2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पार्ट-2 में मात्र आपके प्रभाग से सम्बन्धित विवरण (त्रुटिपूर्ण) अंकित किया गया है। पार्ट-1 के बिन्दु संख्या-B-2.1 की तालिका के अनुसार पार्ट-2 में भी दोनो प्रभागों से सम्बन्धित (त्रुटि रहित) विवरण अंकित करना होगा।	बिजनौर वन प्रभाग एवं नजीबाबाद वन प्रभाग दोनों वन प्रभागों से सम्बन्धित वांछित विवरण पार्ट-2 में त्रुटि रहित अंकित कर दिया गया है।
3	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-4 की तालिका में Density 1228590 अंकित की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है सही विवरण अंकित करें।	इस सम्बन्ध में वांछित विवरण पार्ट-2 में त्रुटि रहित अंकित कर दिया गया है।
4	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-6 से 12 तक में NIL अंकित किया गया है, पुनः इन बिन्दुओं का अवलोकन कर सही विवरण/Yes/No अंकित करें।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु सं०-6 से 12 तक का अवलोकन कर सही विवरण में Yes/No त्रुटि रहित अंकित कर दी गयी है।
5	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13 (i) में CA की धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13 में CA की धनराशि का उल्लेख कर दिया गया है।
6	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13 (ii), (iii), (iv) & (iv) में वांछित अभिलेख (CA scheme, Geo- referenced map, CA Toposheet & Land Suitability	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13 में (ii), (iii), (iv) & (iv) में वांछित अभिलेख (CA scheme, Geo- referenced map, CA

	certificate) अपलोड नहीं किये गये हैं।	Toposheet & Land Suitability certificate) अपलोड कर दी गयी है।
7	ऑनलाइन पार्ट-2 (Additional information details) में निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार विवरण/अभिलेखों की PDF अपलोड करें।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के ऑनलाइन (Additional information details) निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार विवरण/ अभिलेखों की PDF अपलोड कर दी गयी हैं।
8	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-15 में अपलोड Site inspection report of the DFO. पर निरीक्षण तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु सं0-15 में Site inspection report of the DFO. पर निरीक्षण तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित कर अपलोड कर दी गयी हैं।
9	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-16 में Site inspection report of the DFO. अपलोड की गयी है जबकि इस बिन्दु में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पत्र अपलोड किया जाना चाहिए।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु सं0-16 में प्रभागीय वनाधिकारी, की संस्तुति का पत्र अपलोड कर दिया गया है।
10	पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षण करें, ताकि कोई अन्य कमी न रहें।	पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षण कर लिया गया है कोई अन्य कमी नहीं पाई गई है।

अतः उक्त प्रस्ताव में संस्तुति सहित प्रेषित है।

भवदीय,

(वन्दना)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 861 /4-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं

(वन्दना)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 862 /4-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1:- उप प्रभाग वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

2:- क्षेत्रीय वनाधिकारी, राजगढ़ एवं कौड़िया।

3:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद।

(वन्दना)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

ई-मेल द्वारा

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-313 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 01/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग,
नजीबाबाद।

विषय-

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Puari road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckge-2 from Ch. 0.000 to 5.900 under forest division Najibabad. Online proposal No. FP/UP/Road/157011/2022

सन्दर्भ-

आपकी पत्र सं०-267/14-1 दिनांक 26.07.2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित ऑनलाइन प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया है :-

- 1- ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या-B-2.1 की तालिका के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि दो वन प्रभाग (बिजनौर में-0.66 हे० तथा नजीबाबाद में-4.61 हे०) कुल 5.27 हे० से सम्बन्धित है इसलिए दोनों वन प्रभाग का एक समेकित प्रस्ताव आपके स्तर से (क्योंकि एक प्रस्ताव में एक से अधिक प्रभाग सम्मिलित होने की स्थिति में प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि में जिस प्रभाग का क्षेत्रफल अधिक प्रभावित हो वह ही प्रस्ताव के लिए नोडल अधिकारी होता है।) प्रेषित किया जाना है।
- 2- ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट-2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पार्ट-2 में मात्र आपके प्रभाग से सम्बन्धित विवरण (त्रुटिपूर्ण) अंकित किया गया है। पार्ट-1 के बिन्दु संख्या-B-2.1 की तालिका के अनुसार पार्ट-2 में भी दोनों प्रभागों से सम्बन्धित (त्रुटिपूर्ण रहित) विवरण अंकित करना होगा।
- 3- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-4 की तालिका में Density 1228590 अंकित की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है सही विवरण अंकित करें।
- 4- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-6 से 12 तक में Nil अंकित किया गया है, पुनः इन बिन्दुओं का अवलोकन कर सही विवरण/Yes/No अंकित करें।
- 5- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13(i) में CA की धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
- 6- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13(ii), (iii), (iv) & (iv) में वांछित अभिलेख (CA scheme, Geo-referenced map, CA Toposheet & Land suitability certificate) अपलोड नहीं किये गये हैं।
- 7- ऑनलाइन पार्ट-2 (Additional information details) में निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार विवरण/अभिलेखों की PDF अपलोड करें।
- 8- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-15 में अपलोड Site inspection report of the DFO. पर निरीक्षण तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
- 9- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-16 में Site inspection report of the DFO. अपलोड की गयी है जबकि इस बिन्दु में प्रभागीय वनाधिकारी की संरतुति का पत्र अपलोड किया जाना चाहिए।
- 10- पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन/आफलाइन परीक्षण कर लें, ताकि कोई अन्य कमी न रहे।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
01/08